न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 51 / 2023

प्रार्थी

1. ईशराराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भागीरथराम पुत्र चैनाराम
2. रामूराम पुत्र चैनाराम
3. आदूराम पुत्र फगलूराम
4. जीयाराम पुत्र फगलूराम
5. सदराम पुत्र फगलूराम
6. आसुराम पुत्र माधाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र माधाराम
8. चुकी पत्नी किशनाराम
9. नेनूदेवी पत्नी माधाराम
10. पीराराम पुत्र किशनाराम
11. भागीरथराम पुत्र वरींगाराम
12. मोहनलाल पुत्र वरींगाराम
13. हरीराम पुत्र वरींगाराम जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
14. राज्य सरकार जरिये तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 13.04.2023

अधिवक्तागण :–

1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थीगण
3. श्री भाखराराम विश्नोई बिफ्ट हॉल्डर विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2024

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व

अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निवेदन किया कि कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2. 3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की भूमि आई हुई है, जो आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू-नक्शा साथ संलग्न है उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थी के नामान्तरकरण दर्ज के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थी स्वयं के नाम से है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा-सेढ ही पटवार मण्डल चैनपुरा के ग्राम अणदाणियो की ढाणी के विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 148/2 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा नम्बर 148/3 क्षेत्रफल 3.3751 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 से 05 तक के खेत खसरा नम्बर 142 क्षेत्रफल 6.1431 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 06 से 13 तक के खेत खसरा नम्बर 141 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 13 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2023/सीमाज्ञान/41 दिनांक 20.01.2023 पटवारी हल्का चैनपुरा को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 24.01.2023 को हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 141/2, 141/4 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेर [illegible] कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत [illegible] को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क [illegible] हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त [illegible] हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा अणदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चैनपुरा तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2.3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें, का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 14 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए

विप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणकुमावत ने वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 01 व 02 का निम्न जबाब पेश किया आवेदन का पद संख्या 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन का पद संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। आवेदन का पद संख्या 3 का जबाब इस प्रकार है कि ग्राम अणदाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र चौनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 148/2 विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि व खसरा संख्या 148/3 विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जिस पर वक्त बन्दोवस्त से पहले से विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज व उसके बाद लगातार विप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज है। विप्रार्थी [illegible] व 2 वक्त बन्दोवस्त से सेढ़ा माठ कायम कर अपनी भूमि खसरा संख्या 148/2 व 148/[illegible] है। सेढा पर पक्की माठ बन्दोवस्त के समय की [illegible] है विप्रार्थी संख्या [illegible] 2 के द्वारा अपने सेढा माठ पर बाड़ की हुई है। सेठा पर थोर व झाड़ियां लगाई गई है। वक्त बन्दोवस्त के समय विप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज थे उसी अनुसार पैमाईस हुई तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

वर्तमान में भी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसी सेठा माठ के अनुसार काबिज है। इस कारण प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने अपने सीमा के अन्दर निर्विवाद रूप से काबिज है। आवेदन का पद संख्या 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। कि आवेदन का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है तथा जबाब इस प्रकार है कि पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान करने हेतु मौका पर जांच नहीं की गई तथा न ही मौका पर आकर विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रूबरू मौका पर पैमाईस की गई। सीमाज्ञान रिपोर्ट हल्का पटवारी के द्वारा अपने कार्यालय में बैठे बैठे एकपक्षीय तैयार की गई है। मौका पर किसी प्रकार की पैमाईस नही की गई तथा न ही मौका पर उपस्थित आये व सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सूचना दी। आवेदन का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है तथा जबाब इस प्रकार है कि पुलिस ईमदाद के जरीये किसी भी पक्षकार को मौका से बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। उक्त प्रकरण सिविल प्रकृति के है, जो विधि अनुसार प्रकिया अपनाई जाकर विधि सम्मत की जाना है। पुलिस ईमदाद के जरीये किसी भी पक्षकार को धमकाया नहीं जा सकता। विवादित भूमि जिसके सीमा को लेकर विवाद है, उक्त विवादित भूमि की नेखमबन्दी करने की अधिकारीता तहसीलदार को नहीं है। आवेदन का पद संख्या 7 विप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संबंधित नहीं है। आवेदन का पद संख्या 8 कानूनी है। कि आवेदन का पद संख्या 9 कानूनी है। ग्राम अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चौनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 148/2 विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि व खसरा संख्या 148/3 विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। जिसकी वक्त बन्दोवस्त के समय के कायम सीमा चिन्ह स्थाई बिन्दु से बिन्दु कायम कर जरीब चलाकर टीम गठित कर या सेटलमेंट विभाग से पैमाईस करवा कर नेखमबन्दी की जावे। जिस हेतु काउण्टर क्लेम रूपये 2/– के मुन्द्राक चस्पा है। कि शेष तथ्य वक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः आवेदन का जबाब पेश कर निवेदन है प्रार्थी का आवेदन गलत व मिथ्या कथनो के आघर पर पेश किया गया होने के कारण खारीज किया जावे तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर ग्राम अणदाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र चौनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 148/2 व 148/3 की पक्की नेखमबन्दी करने का आदेश फरमावे का जबाब [illegible] जो सामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो [illegible] पक्की बाड़/बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

योग्य है। प्रार्थी वकील ने निवेदन किया हैं काउन्टर क्लेम आवेदन के साथ पेश नहीं किया जा सकता है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है। प्रार्थी के साथ साथ विप्रार्थी के नेखमबन्दी की जाएं। काउन्ट क्लेम स्वीकार किया जाएं। प्रार्थना पत्र खारीज किया जाएं।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी ग्राम अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2.3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है '' प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2023/सीमाज्ञान/41 दिनांक 20.01.2023 पटवारी हल्का चैनपुरा को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 24.01.2023 को हल्का पटवारी चैनपुरा द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर खसरा नम्बर 141/2, 141/4 की सीमाये कायम की तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थी को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा[illegible] प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया [illegible] प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा [illegible] सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद हो[illegible]ते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2.3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम अणदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र चैनपुरा तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2.3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 141/2, 141/4 क्षेत्रफल क्रमशः 2.3876, 0.0162 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्रसिंह) **RAS**
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक भू अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक **27.02.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:01 IST
Reason: SelfAttested